



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर  
—ज्ञापन—

कंमाक क / भू-अर्जन / 01 / अ-82 / 2016-17  
प्रति,

जगदलपुर दिनांक 16 अगस्त / 2017

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,  
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,  
जिला कार्यालय, जगदलपुर।

विषय :— भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन।

—0000—

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के प्रस्ताव अनुसार ग्राम गुडियापारा से कोलूपारा के 3/8 कि०मी० में बंजारिन नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए ग्राम बड़ौकिलेपाल, पटवारी हल्का नंबर 07, राजस्व निरीक्षक मण्डल बास्तानार, तहसील बास्तानार की निजी भूमि खसरा नंबर 1311 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 635/1/म रकबा 0.64 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1346 रकबा 0.04 हेक्टेयर (कुल खसरा 3) रकबा 0.83 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अंतः भूमि —अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) संबंधी अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अधिसूचना कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

k.  
(धनंजय देवांगन)  
कलेक्टर,  
बस्तर जिला



कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
कंगाक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17

जगदलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

— अनुसूची —

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह. नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल /07	1311 635/1/म 1346	0.15 0.64 0.04	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर	ग्राम गुड़ियापारा से कोलूपारा के 3/8 किमी० में बंजारिन नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण करने के लिए।
योग :-			03	0.83		

2/ यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा /आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा०) / भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप- धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा ।

3/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल / कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

4/ प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

5/ प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

( धनंजय देवगन )  
कलेक्टर जिला बस्तर  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़  
शासन राजस्व विभाग